

0-11-2025
2025/839

ग्रामीण सेवा विधिर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/211

दिनांक 08/01/2026

उपवानी प्रकरण विजयसिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 268/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयनामक लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 21/भू.अ./2025 दिनांक 04/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम हाथीदेह पटवारी हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नूंगे खता संख्या 144 में खातेदार प्रसन्नसिंह पुत्र प्रभुसिंह के स्थान पर विजयसिंह उप विजयसिंह पुत्र प्रभुसिंह का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का हाथीदेह उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 08/01/2026

कमांक/रीडर/2025/212-213

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



प्रतिवेदन नं. 146 टाकी देह
पिता का नाम विजयसिंह पुत्र पुत्रसिंह वि० 18 पुत्रसिंह के नाम से
अब पिता ने विजयसिंह पुत्र पुत्रसिंह के नाम से
5 हजेरों का किया है परंतु एक पैसा भर ए.ए.ए. का 15 के भी
उकाश पर अलग किया है

अब पुत्रसिंह के नाम से 146 में पिता का नाम
विजयसिंह पुत्र पुत्रसिंह के नाम पर विजयसिंह पुत्र पुत्रसिंह के नाम से
का किया है

03.10.2025
प्रतिवेदन नं. 146

जांच प्रतिवेदन नं.- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:-

जांच की, अतिरिक्त रिपोर्ट जवाबी एवं कुशल
संलग्न कागजात शुद्धि किया जाना उचित है

31/10/25
प्रतिवेदन नं. 146

हस्ताक्षर नं.-अभिलेख निरीक्षक

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (नं.- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

CSS/क्रमांक/21/प.10.25

मुताबिक हल्का परवारी रिपोर्ट एवं DLR की जांच के
परन्तु शुद्धि की जायेंगी ही जाती है

हस्ताक्षर तहसीलदार
श्रीमाधोपुर (सीकर)

268
12-10-25

आदेश (शिविर स्थान:- दिनांक:-)

परवारी हल्का टाकी देह व पुत्रसिंह वृत्त जवाबी की जांच रिपोर्ट एवं
तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अतिरिक्त रिपोर्ट के आधार पर एक
टाकी देह में खता सं. 146 में विजयसिंह पुत्र पुत्रसिंह के नाम
पर विजयसिंह पुत्र विजयसिंह पुत्र पुत्रसिंह के नाम से
का किया है परन्तु एक पैसा भर ए.ए.ए. का 15 के भी
उकाश पर अलग किया है

उपखण्ड अधिकारी
उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर